

मांग संख्या 80  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

इंदिरा सहारा योजनान्तर्गत पेंशन भुगतान पर ` 1372.06 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 13,72,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनान्तर्गत पेंशन भुगतान पर ` 2648.60 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ` 26,48,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 3**

पंचायत सचिवों के वेतन भत्ते आदि पर राशि ` 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचायतों को अंतरण मद में राशि ` 71.25 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 71,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2853**

**मद क्रमांक 5**

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु राशि ` 3978.69 लाख का व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 39,78,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 3604**

**मद क्रमांक 6**

स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध पंचायतों को अनुदान मद में राशि ` 1400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है